न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

अपील सूचना अधिकार संख्या 10 / 2026(GCMS 2026/21)
(RTI No. 212103477663664)

श्री मुकन्द सिंह पुत्र श्री हरनेक सिंह निवासी 5 केएसडी, रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर (मोबाईल नम्बर 94619—41862)

बनाम

उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

19.03.2026

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह स्वयं उपस्थित नहीं हुआ पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2025 से उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी ने उसे उपलब्ध नहीं करवाई है, इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री मुकन्द सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 03.09.2025 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं **उपखण्ड अधकारी, रायसिंहनगर** से निम्न सूचना चाही थी :

1. रायसिंहनगर के वार्ड संख्या 30 में न्यायिक भवन बनाने के लिए कन्नक निर्माण कम्पनी के ''जे'' शिडयूल मय पुस्तिका क प्रमाणित प्रति।
2. न्यायिक भवन के लिए बेसमेन्ट (अंडर ग्राउण्ड) व G+3 मंजिल की निर्माण स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जाये।
3. निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सडक आमजन के लिए बन्द करके सड़क पर निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सड़क के माप पर निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज चाहा है।
4. जिस जगर पर वर्तमान में न्यायिक भवन कनक कम्पनी द्वारा निर्माण किया जा रहा है। वह जगह पूर्व में जिस विभाग को आवंटन थी। उस विभाग की आवंटन प्रति।
5. राजस्व विभाग की जगह पर न्यायिक भवन निर्माण करने के लिये भू परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।
6. उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के जनवरी 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मूवमेन्ट पंजिका रजिस्टर पंजिका के पेजों की प्रमाणित प्रति।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक आरटीआई / 2026 / 102 दिनांक 20.02.2026 से अवगत करवाया है कि उनके द्वारा अपीलार्थी को जवाब दिया जा चुका है, लोक सूचना अधिकारी ने अपने पत्रांक

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

राजस्व/2025/424 दिनांक 19.09.2025 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब प्रेषित किया है :

क्र.सं.	विषय	सूचना
1	रायसिंहनगर के वार्ड संख्या 30 में न्यायिक भवन बनाने के लिए कन्नक निर्माण कम्पनी के "जे" शिडयूल मय पुस्तिका क प्रमाणित प्रति।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
2	न्यायिक भवन के लिए बेसमन्ट (अंडर ग्राउण्ड) व G+3 मंजिल की निर्माण स्वीकृति की प्रमाणित प्रति दी जाये।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
3	निर्माणाधीन स्थल में बनी हुई सड़क आमजन के लिए बन्द करके सड़क पर निर्माण करने का आदेश व सार्वजनिक सड़क के भाप पर निर्माण स्वीकृति का दस्तावेज चाहा है।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
4	जिस जगर पर वर्तमान में न्यायिक भवन कनक कम्पनी द्वझरा निर्माण किया जा रहा है। वह जगह पूर्व में जिस विभाग को आवंटन थी। उव विभाग की आवंटन प्रति।	चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित नहीं है।
5	राजस्व विभाग की जगह पर न्यायिक भवन निर्माण करने के लिये भू परिवर्तन आदेश की प्रमाणित प्रति दी जावे।	सूचना कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से संबंधित है।
6	उप जिला कलक्टर रायसिंहनगर के जनवरी 2025 से 20 अगस्त 2025 तक मूवमेन्ट पंजिका रजिस्टर पंजिका के पेजों की प्रमाणित प्रति।	व्यक्तिगत सूचना देय नहीं है।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर ने अपील का जवाब उक्तानुसार दिया है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005** की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है **जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है, जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए।** सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। **लोक सूचना अधिकारी से**

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

यह अपेक्षित है **कि वह** आवेदक को **सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है।** सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। **इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते।** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना, किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर ने बिन्दु संख्या 1 से 5 का जो जवाब दिया है, वह सही है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिहनगर को अपीलार्थी के बिन्दु संख्या 06 हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित (Remand) कर आदेशित किया जाता है कि वे बिन्दु संख्या 06 पर पुनः निर्णय पारित करें।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, रायसिंहनगर को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. मन्जू)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर